इको निवास संहिता 2018

संदर्भ

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने इको निवास संहिता, 2018 (रहियशी इमारतों हेतु ऊर्जा संरक्षण इमारत संहिता ECBC-R) की शुरुआत की है। इस संहिता के कार्यान्वयन से 2030 तक सालाना 125 अरब यूनिट बिजली की बचत होने की संभावना है जिससे लगभग 100 मिलियन टन कॉर्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस संहिता को लागू करने से रिहायशी क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य ऐसे अपार्टमेंट और नगरों का डिज़ाइन तैयार करना तथा उनके निर्माण को बढ़ावा देना है जिनमें रहने वालों को ऊर्जा की बचत का लाभ मिल सके।
- इस संहिता को बिल्डिंग मैटीरियल आपूर्तिकर्त्ताओं, डेवलपर, वास्तुकारों और विशेषज्ञों सहित सभी साझेदारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।
- संहिता में सूचीबद्ध मानदंडों को जलवायु और ऊर्जा संबंधी आँकड़ों का इस्तेमाल करते हुए अनेक मानदंडों के आधार पर विकसित किया गया है।
- आरंभ में संहिता के पहले भाग की शुरुआत ऊर्जा बचत वाली रिहायशी इमारतों के डिज़ाइन तैयार करने हेतु की गई है जिसमें इमारत के अंदर के हिस्से को शुष्क, गर्म और ठंडा रखने हेतु इमारत के बाहरी हिस्से की नींव के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित किये गए हैं।
- उम्मीद है कि इस संहिता से बड़ी संख्या में वास्तु-शिल्पियों और बिल्डरों को सहायता मिलेगी जो देश के विभिन्न भागों में नए रिहायशी परिसरों के डिज़ाइन तैयार करने तथा उनके निर्माण कार्य में शामिल हैं।
- ऊर्जा संरक्षण इमारत संहिता (ECBC-R) की सहायता से आने वाले 10-15 वर्षों में इमारत निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा की मांग में आने वाली वृद्धि से निपटा जा सकेगा।
- सरकार नए रिहायशी घरों का निर्माण करते समय वास्तुकारों, बिल्डरों सहित इमारत से जुड़े कार्यों में लगे सभी पेशेवरों को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में जागरूकता पैदा करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है।
- विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के सहयोग से हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाता है।
- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में उद्योग और अन्य प्रतिष्ठानों के प्रयासों को मान्यता देने के लिये विद्युत मंत्रालय हर वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित करता है।
- इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की 26 औद्योगिक इकाइयों को ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये पुरस्कार दिये जाते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढाँचे के अंदर स्व-विनियमन और बाज़ार सिद्धांतों पर महत्त्व देते हुए ऐसी नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहायता प्रदान करना है जिनका प्रमुख लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है।

स्रोत- पीआई बी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/eco-niwas-samhita-2018